

21/11/22

आज पत्रावली पेश हुई। आज प्रकरण से
संबंध मुलवाद अदम हाजरी अदम पैरवी
के खारिज किया जाता है। अतः इस पत्रावली
का कोई अर्थ नहीं है। पत्रावली अदम
हाजरी अदम पैरवी के खारिज भी जाती है।
केवल सुमार ही नम्बर से जोर होकर
सामग्री मुलवाद रहे।

सुनापना



[Handwritten signature]